महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-36/2016/1885/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 जून, 2016

विषयः- प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में।

प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु आई0सी0डी0एस0 विभाग के अन्तर्गत चिन्हित लगभग 14.60 लाख अतिकुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समेकित पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार गर्म पका-पकाया भोजन खिलाना, वृद्धि की निगरानी करना, बच्चों की माताओं को स्वास्थ्य-पोषण परामर्श देना एवं अन्य सेवायें यथा टीकाकरण, सप्लीमेण्ट आदि दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ''हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम'' संचालित किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

2- प्रदेश में 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों में कुपोषण की स्थिति का आंकलन रैपिड सर्वे आफ चिल्ड्रेन 2013-14 के अन्तर्गत उपलब्ध निम्न आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता हैः

- प्रदेश में 0 से 5 वर्ष की आयु के अल्पवजन बच्चों की दर 34.9 प्रतिशत है।
- प्रदेश में 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों में गम्भीर रूप से अल्पवजन बच्चों की दर 12.9 प्रतिशत है।
- जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशु का प्रतिशत प्रदेश में 22.5 प्रतिशत है।

माह सितम्बर, 2015 में 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों के वजन की माप के लिये वजन दिवस अभियान का वृहद आयोजन जनपदों द्वारा किया गया। उक्त अभियान के फलस्वरूप प्रदेश में 14.60 लाख अतिकुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया गया। अतः बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा संचालित अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (Supplementary Nutrition Programme-SNP) के साथ-साथ अतिरिक्त प्रयास कर उसे और अधिक सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही अतिकुपोषित बच्चों की माताओं को संस्थागत तरीके से सही परामर्श उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि उनके द्वारा अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण का ध्यान रखा जा सके।

अतः प्रदेश में 06 माह से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु उनके लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समेकित पोषण कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत अतिकुपोषित बच्चों को प्रतिदिन मध्यान्ह में गर्म पका-पकाया भोजन व साथ में फल भी खिलाया जायेगा और आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अनुपूरक पोषाहार में मिलाने हेतु घी उपलब्ध कराया जायेगा। बच्चों का नियमित वजन लेते हुए वृद्धि की निगरानी की जायेगी। अतिकुपोषित बच्चों की माताओं को सप्लीमेण्ट आदि देना एवं वी0एच0एन0डी0 सेवाओं का प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-20/2016/831/60-2-16-2/3(01)/11 टी.सी.।। दिनांक 31 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त कार्यक्रम के ट्रायल का क्रियान्वयन प्रदेश के 18 मण्डलों के एक-एक विकास खण्ड की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समस्त ग्राम सभाओं में एवं जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा गोद लिये गये दो-दो ग्राम सभाओं में किया गया। ट्रायल में जिलाधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर 06 माह से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों हेतु प्रदेश व्यापी हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन की रूपरेखा निम्नवत प्रस्तुत है।

3- 06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नवत हैः-

3.1 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का उद्देश्य

06 माह से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों हेतु प्रस्तावित समेकित पोषण कार्यक्रम, जिसका संदेश- ''बच्चे करें भोजन जरूर, कुपोषण को भगायें दूर'' (अथवा ''गर्म पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन का आधार, बच्चा सुपोषित और खुशहाल'') रखा जाना विचारणीय है, के उद्देश्य निम्न हैंः-

तालिका-1

अतिकुपोषित बच्चों हेतु संचालित फीडिंग कार्यक्रम के उद्देश्य	
1	कैलोरी-प्रोटीन एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के गैप की भरपाई
2	ग्रोथ चार्ट के माध्यम से कार्यक्रम के फलस्वरूप आये सुधार की नियमित ट्रैकिंग
3	परिवार एवं समुदाय आधारित परामर्श सत्रों का आयोजन
4	वी0एच0एन0डी0 के दिन लक्षित बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण और टीकाकरण कराना

3.2 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का स्थल-

यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में चलाया जायेगा।

3.3 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम चलाने का उत्तरदायित्व-

(1) कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन पकवाने का उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान का होगा और आच्छादित लाभार्थियों को भोजन कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्री का होगा।

(2) कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु समीपवर्ती सी0बी0एस0 बैंक (कोर बैंकिंग सिस्टम) ब्रान्च में एक बचत खाता खोला जायेगा जिसका संचालन सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

3.4 अतिकुपोषित बच्चों हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्म पके-पकाये भोजन का मेन्यू-

(1) आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा वर्तमान में 06 माह से 03 वर्ष के सामान्य बच्चो को 120 ग्राम प्रतिदिन की दर से 25 दिनों हेतु माह में तीन पैकटों में (प्रति एक किलोग्राम के पैकेट में) अनुपूरक पोषाहार टेक होम राशन (टी0एच0आर0) के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। उक्त से सामान्य बच्चों को 500 कैलोरी उर्जा एवं 14 ग्राम प्रोटीन की मात्रा प्रतिदिन उपलब्ध हो पाती है। 06 माह से 03 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को वर्तमान में आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुपूरक पोषाहार की मात्रा 200 ग्राम प्रतिदिन अर्थात पांच पैकेट प्रतिमाह है, जिससे इस श्रेणी के बच्चों को प्रतिदिन उपलब्ध होने वाली उर्जा 840 कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा 24 ग्राम है।

(2) इसी प्रकार आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा वर्तमान में 3 वर्ष से 6 वर्ष के सामान्य बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर 50 ग्राम प्रतिदिन की दर से मार्निंग स्नैक के रूप में अनुपूरक पोषाहार एवं साथ ही हाट कुक्ड मील खिलाये जाने की व्यवस्था है। उक्त से सामान्य बच्चों को लगभग 520 कैलोरी उर्जा एवं 15 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध हो पाती है। 3 वर्ष से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को वर्तमान में आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन 50 ग्राम मार्निंग स्नैक एवं हॉट कुक्ड मील खिलाये जाने के अतिरिक्त टेक होम राशन के रूप में 75 ग्राम अतिरिक्त अनुपूरक पोषाहार प्रति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लाभार्थी प्रतिदिन की दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे इस श्रेणी के बच्चों को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा 800 कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा 25 ग्राम है।

(3) इस कार्यक्रम में 06 माह से 03 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म पका-पकाया भोजन खिलाया जाना एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को सायंकाल मौसमी फल एवं सायंकाल घर पर ग्रहण करने हेतु स्नैक्स दिया जायेगा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-सी 1296/बा0वि0परि0/हाट कुक्ड फूड योजना-01/2014-15, दिनांक 10.10.2014 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में उक्त आयु वर्ग के अन्तर्गत 06 माह से 03 वर्ष एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों हेतु संचालित होने वाले फीडिंग कार्यक्रम की आहार-तालिका (मेन्यू) के आधार पर उक्त आयु वर्ग के अतिकुपोषित बच्चों को निम्नानुसार भोजन दिया जाना हैः-

तालिका-2

06 माह से 03 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे।	आई0सी0डी0एस0 की हाट-कुक्ड योजना के मेन्यू के अनुसार गर्म पका-पकाया भोजन व मौसमी फल
03 वर्ष से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे।	स्नैक्स (सायंकाल घर पर ग्रहण करने हेतु) व मौसमी फल

(4) 6 माह से 3 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को खिलाये जाने वाले भोजन का मेन्यू व अन्य विवरण निम्नवत् हैः-

भोजन का दिन	मेन्यू-हाट कुक्ड मील के अनुसार (आधीमात्रा)	भोज्य पदार्थ की मात्रा	घी	फल	भोजन से मिलनेवाली ऊर्जा-कैलोरी	भोजन में मिलनेवाले प्रोटीन की मात्रा-ग्राम	भोजन की दर- रू0 में
सोमवार	मीठा दलिया	75 ग्राम	20 ग्राम	मौसमी फल	425.00	3.00	भोजन रू0 1.75 फल रू0 3.00 घी रू0 8.11
मंगलवार	खिचड़ी	85 ग्राम	20 ग्राम	मौसमी फल	415.00	4.00	
बुधवार	हलुआ	50 ग्राम	20 ग्राम	मौसमी फल	422.00	4.00	
बृहस्पतिवार	तहरी	60 ग्राम	20 ग्राम	मौसमी फल	430.00	3.00	
शुक्रवार	मीठा दलिया	75 ग्राम	20 ग्राम	मौसमी फल	425.00	3.00	
शनिवार	हलुआ	50 ग्राम	20 ग्राम	मौसमी फल	422.00	4.00	
औसत		65.83	20	-	423.16	3.50	13.00 (लगभग)

1-3 वर्ष तक के बच्चों के सामान्यतः 1240 कैलोरी व 22 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है।

- आई0सी0डी0एस0 के पूरक पोषाहार के माध्यम से 800 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन दी जाती है।
- एक अतिरिक्त आहार, घी व फल के माध्यम से प्रतिदिन 423 कैलोरी व 3.50 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगी।

इस प्रकार यदि उपरोक्त दोनो सामग्री बच्चों को मिलती है तो 98 प्रतिशत दैनिक ऊर्जा व प्रोटीन की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवश्यकता पूरी की जा सकती है।

(5) 03 वर्ष से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को खिलाये जाने वाले भोजन का मेन्यू व अन्य विवरण निम्नवत् हैः-

भोजन का दिन	शाम का नाश्ता	फल	घी	भोजन से मिलने वाली ऊर्जा- कैलोरी	भोजन में मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा-ग्राम	भोजन की दर- रू0 में
सोमवार	मुरमुरा चना/ग्लूकोज बिस्किट आदि	मौसमी फल	20 ग्राम	400	2	स्नैक्स - रू0 2.00 घी - रू0 8.11 फल - रू0 3.00
मंगलवार	मुरमुरा चना/ग्लूकोज बिस्किट आदि	मौसमी फल	20 ग्राम	400	2	
बुधवार	मुरमुरा चना/ग्लूकोज बिस्किट आदि	मौसमी फल	20 ग्राम	400	2	
बृहस्पतिवार	मुरमुरा चना/ग्लूकोज बिस्किट आदि	मौसमी फल	20 ग्राम	400	2	
शुक्रवार	मुरमुरा चना/ग्लूकोज बिस्किट आदि	मौसमी फल	20 ग्राम	400	2	
शनिवार	मुरमुरा चना/ग्लूकोज बिस्किट आदि	मौसमी फल	20 ग्राम	400	2	
औसत	-	-	20	400	2	13.00 (लगभग)

3-6 वर्ष तक के बच्चों को सामान्यतः 1600 कैलोरी व 30 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है।

- आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत अनुपूरक पोषाहार के रूप में उपलब्ध कराये जा रहे मार्निंग स्नैक्स एवं हाट कुक्ड मील के माध्यम से 800 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन दी जाती है।
- एक अतिरिक्त स्नैक्स, घी व फल के माध्यम से प्रतिदिन 400 कैलोरी व 2 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगी।

इस प्रकार यदि उपरोक्त दोनों सामग्री बच्चों को मिलती है तो लगभग 75 प्रतिशत दैनिक ऊर्जा व प्रोटीन की आवश्यकता पूरी की जा सकती है।

3.5 06 माह से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को भोजन के मेन्यू के अन्तर्गत 20 ग्राम प्रतिदिन देशी घी हेतु दुग्ध विकास विभाग-पी0सी0डी0एफ0 द्वारा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) 06 माह से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को 20 ग्राम देशी घी प्रति लाभार्थी प्रति दिन उपलब्ध कराने के लिये दुग्ध विकास विभाग उत्तर प्रदेश की संस्था- पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आपूर्ति किया जायेगा।

(2) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा देशी घी की आपूर्ति यथा आवश्यकता 500 मि0ली0 तथा 01 लीटर की पैकिंग में की जायेगी।

(3) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाले देशी घी, पी0सी0डी0एफ0 द्वारा अनुमन्य दरों पर की जायेगी।

(4) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शुद्ध देशी घी उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) समस्त आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा केन्द्रवार 06 माह से 06 वर्ष तक आयु के अतिकुपोषित बच्चों का विवरण मुख्य सेविका को दी जायेगी। उक्त सूचना मुख्य सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय तक भेजा जायेगा।

(6) जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा संकलित सूचना पी0सी0डी0एफ0 को प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक पहुंचा दी जायेगी-

- ✓ यह मांग एक माह की होगी और इसकी समयावधि 15 तारीख से अगले माह की 15 तारीख तक की होगी।
- ✓ मांग के साथ एक माह का अग्रिम भुगतान भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- ✓ दुग्ध संघ द्वारा मांग/अग्रिम प्राप्त होने पर वाहनों के माध्यम से महीने की 15 तारीख तक जनपद के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आवश्यक मात्रा में देशी घी का पैकट पहुंचा दिया जायेगा।

3.6 भोजन बनाने हेतु प्रबन्धन

(1) भोजन में आयोडाइज्ड नमक का ही प्रयोग अनिवार्यतः किया जायेगा। नमक सीलबन्द डिब्बे में रखा जायेगा ताकि उसकी आयोडीन की गुणवत्ता नमी से नष्ट न हो।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इस फीडिंग कार्यक्रम का समय जनपद स्तर पर निर्धारित किया जाना समीचीन है, इस हेतु जिलाधिकारी सक्षम स्तर होंगे।

(3) भोजन पकाने हेतु मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय के रसोईघर एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं का आवश्यकतानुसार/ नियमानुसार प्रयोग किया जायेगा। यह ग्राम प्रधान के विवेक पर निर्भर होगा कि सम्बन्धित गांव के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का भोजन एक साथ विद्यालय के रसोईघर में पकाया जाये अथवा पृथक-पृथक। किन्तु विद्यालय के रसोईघर में कई आंगनबाड़ी केन्द्रों का भोजन पकने की स्थिति में भी पका हुआ भोजन सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र ले जाकर लाभार्थियों को भोजन केन्द्र पर ही कराया जायेगा।

(4) भोजन पकवाने का दायित्व ग्राम प्रधान का होगा।

(5) भोजन पकाने हेतु राशन, सब्जी, मसालों, तेल आदि का क्रय स्थानीय बाजार से किया जायेगा। तेल एवं मसालों की विशिष्टियां हॉट कुक्ड मील एवं मध्यान्ह भोजन योजना में लागू विशिष्टयों के अनुरूप होंगी।

3.7 भोजन बनाने हेतु समस्त केन्द्रों पर बर्तन आदि की व्यवस्था

भोजन बनाने हेतु समस्त केन्द्रों पर बर्तन आदि की व्यवस्था गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित होने वाले हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी।

3.8 अति कुपोषित बच्चों हेतु फल का क्रय व वितरण

(1) 06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों में, प्रत्येक को माह में 25 दिन एक मौसमी फल (फ्रेश केला, आम, पका पपीता आदि) दिया जायेगा।

(2) फल स्वच्छ जल से धोकर बच्चों को दिया जायेगा।

(3) फल का ग्रहण केन्द्र पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) फल की खरीद उसी दिन के लिये या फिर लाभार्थी संख्या के अनुसार अधिकतम दो दिन के लिये की जायेगी। किसी भी दशा में सड़े गले फल बच्चों को नहीं खिलाये जायेंगे।

3.9 भोजन बनाने हेतु जनपदों द्वारा किये जाने वाले आवश्यक कार्य

(1) प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा अतिकुपोषित बच्चों की केन्द्रवार सूची बनायी जायेगी एवं उसके अनुसार लाभार्थियों को भोजन कराया जायेगा।

(2) सम्बन्धित ग्राम प्रधानों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/ सहायिकाओं को फीडिंग कार्यक्रम के पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इस हेतु एक प्रशिक्षण बुकलेट तैयार कराकर समस्त ग्राम प्रधानों/ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/ सहायिकाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। यह कार्य राज्य पोषण मिशन द्वारा किया जायेगा।

3.10 समुदाय आधारित परामर्श सत्र

कुपोषण के कारणों में भोजन की कमी के साथ सही देखभाल का अभाव भी अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण है। अस्तु अतिकुपोषित बच्चों में होने वाले कुपोषण की रोकथाम हेतु उन्हें आंगनबाडी केन्द्रों पर गर्म पका-पकाया भोजन खिलाने के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भोजन हेतु उनकी माता की उपस्थिति को समुदाय आधारित परामर्श सत्रों में भी उपयोग में लाया जायेगा। इस हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा अनुपूरक पोषाहार वितरण हेतु माह में निर्धारित तिथियों यथा 05, 15 एवं 25, जिस दिन केन्द्रों पर गर्भवती एवं धात्री महिलायें और 03 तीन वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों की मातायें उपस्थित होती हैं, को कुपोषण की रोकथाम संबंधी आवश्यक परामर्श दिया जायेगा। उक्त तिथियों में से वी0एच0एन0डी0 के दिन के निकट पड़ने वाली तिथि के स्थान पर वी0एच0एन0डी0 के दिन ही यह परामर्श ए0एन0एम0 द्वारा दिया जायेगा एवं अन्य तिथियों में आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा दिया जायेगा। समुदाय आधारित इन परामर्श सत्रों के अतिरिक्त लाभार्थियों के परिवारजन हेतु गृह-भ्रमण आधारित परामर्श सत्र पूर्व की भाँति किये जायेंगें।

3.11 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम हेतु केन्द्रों पर वॉल-राइटिंग

इस हेतु आवश्यक व्यवस्था गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित होने वाले हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी।

3.12 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार

इस हेतु आवश्यक व्यवस्था गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित होने वाले हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी।

3.13 व्यय विवरण

हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा अंकित करते हुए मुख्य सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अपने विकास खण्ड का संकलित व्यय विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा संकलित व्यय विवरण निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0 को प्रेषित किया जायेगा एवं विकास खण्डवार उक्त विवरण www.suposhanup.in वेबसाइट पर अपलोड भी किया जायेगा। कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त बिल/बाउचर बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे एवं भविष्य में आडिट की स्थिति में आडिट दल को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3.14 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का अनुश्रवण

(1) इस हेतु भोजन करने वाले बच्चों के माता-पिता तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अध्यक्ष के फोन नम्बर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा राज्य पोषण मिशन की ट्रैकिंग वेबसाइट www.suposhanup.in पर इस हेतु बनाये गये प्रारूप पर हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के आरम्भ होने के पूर्व अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) गर्भवती महिलाओं हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु डेटा इन्ट्री कार्य के लिये की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ही अति कुपोषित बच्चों हेतु संचालित होने वाले हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम की डेटा इन्ट्री का कार्य भी सम्मिलित होगा। उक्त के क्रम में जनपदों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर डेटा इन्ट्री एवं रिपोर्टों को वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग द्वारा हायर करते हुए योजना अवधि हेतु अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्य में होने वाला व्यय गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत डेटा इन्ट्री के लिए आवंटित बजट से किया जायेगा।

(3) मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय भ्रमण के अन्तर्गत कार्यक्रम का सामयिक अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं तत्संबंधी सूचना निर्धारित प्रारूप पर अंकित करते हुये जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त एवं निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 को प्रेषित की जायेगी। इस सूचना को भी www.suposhanup.in वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

3.15 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का मूल्यांकन

हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का बेसलाइन/मध्यकालीन सर्वे किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक व्यवस्था गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित होने वाले हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के सर्वे/मूल्यांकन की व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

3.16 खाद्य/पेय पदार्थ के कन्ट्रा इंडिकेशन लक्षित होने पर केन्द्र पर उपस्थित आंगनबाडी कार्यकत्री/सहायिका/ग्राम प्रधान द्वारा तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

प्रश्नगत कार्यक्रम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन ।
8. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
13. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0
14. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
15. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
16. निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।